अध्याय–2

संगठनात्मक संरचना

इस्पात मंत्रालय

मंत्रालय लौह एवं इस्पात उद्योग, आवश्यक आगतौ यथा – लौह अयस्क, लाइम स्टोन और इससे संबंधित कार्यों की डोलोमाइट, मेंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, फेरो मिश्रित धातु, स्पॉन्ज आयरन की योजना एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। 10 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यम और एक सीधे सरकार द्वारा प्रबंधित जो इस्पात मंत्रालय के प्रसासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत है (देखें चार्ट पृष्ठ 6 पर)

संयुक्त संयंत्र समिति

संयुक्त संयंत्र समिति (ज्वाइंट प्लांट कमेटी) की स्थापना सरकार के द्वारा 29 फरवरी 1964 की अधिसूचना से, आयरन एण्ड स्टील आदेश, 1956 के तहत, आवश्यक उपयोगी वस्तु एक्ट, 1955 के तहत की गई। तब लौह एवम् इस्पात नियंत्रक समिति का चेयरमैन था एवम् इस्पात उत्पाद के उत्पादन, वितरण, मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। यह समिति इस्पात विकास कोष के सचिवालय के रूप में भी काम करती है जिसकी स्थापना इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण उनके पुनर्वसन एवम् विकास के लिए की गई थी। तत्पश्चात् विनियंत्रण मुक्ति एवम् उदारीकरण के उदय के बाद, इसके आरम्भिक कार्य समाप्त कर दिए गए हैं और अब समिति को मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के विभिन्न स्त्रोतों से आंकड़े एकत्र करने विश्लेषण करने और इसके बाद से इस्पात उद्योग को प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। संयुक्त संयंत्र समिति के दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आंकडे एकत्र करने और उन्हें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त यह देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ संवर्धनात्मक कार्य भी करता है। इसका प्रबंधन एक शीर्षस्थ समिति द्वारा किया जाताहै जिसमें सेल, टिस्को, आरआईएनएल जैसे मुख्य उत्पादक और रेलवे प्रतिनिधि हैं।

डीसीआई एण्ड एस सेल

डीसीआई एवम् एससीईएलएल (DCI & SCELL) खर्च सुधार कमीशन के सुझावों को स्वीकृति परिणाम स्वरूप, एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत डीसीआई एवं एस के कार्यालय कोलकाता एवं इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता एवं नई दिल्ली में स्थित, को 23.5.2003 से बंद कर दिया गया। सभी बचे कार्य, सिर्फ द्वितीयक क्षेत्रों से आंकडा एकत्रीकरण छोड़कर, नवगठित डीसीआई एण्ड एस (इस्पात मंत्रालय में) को सुपुद्र कर दिए गए। डीसीआई एवं एस विभाग निम्नांकित कर्तव्यों का पालन कर रहा है–

(अ) **लौह एवं इस्पात वस्तुओं को एसएसआई यूनिट में स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन/नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा नियम करने से संबंधित मुद्दे :**

लौह एवं इस्पात वस्तु स्टेट स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन में डाले गए हैं, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री यूनिट में वितरण के लिए वितरण को बढ़ावा देने हेतु, संयुक्त संयंत्र समिति की ओर से 500 रूपये प्रति टन की छूट, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन को दी गई है। वर्ष 2004–05 के द्वितीय चौमाही में निर्धारण एनएसआईसी के पक्ष में भी किए गए जो राज्य में एसएसआई यूनिट की जरूरत आपूर्ति के लिए किए गए। जहां ये एसएसआई अस्तित्वहीन स्थिति में थे या फिर कार्य न कर पाने की स्थिति में थे। पिछले तीन वर्षों में स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री वितरण के लिए लौह एवं इस्पात वस्तुओं का निर्धारण निम्नांकित प्रकार से है।

(ब) **डीसीआई एवं एस के प्रशासन/संस्थापन से संबंधित मुद्दे**

डीसीआई एवं एस के कार्यालय की बंदी ने कोलकाता में नियुक्त इसके कर्मचारियों में एक खास तरह का विचलन पैदा किया है। कर्मचारियों को अधिशेष करने और इसके बाद तैनाती के लिए

पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के रिटेनिंग और रिडिप्लायमेंट विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देशानुसार शर्तों में आवश्यक प्रक्रिया अनुसरण किया गया था। डीओपीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सभी अधिशेष कर्मचारी अपनावेतन तब तक लेते रहेंगे जब तक वे पुनः दूसरे पद पर तैनाती न कर दिए जाए या फिर पेंशन हेतू कार्यालय न छोड़ दें, पद न त्याग दें, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति न ले लें। डीसीआई एण्ड एस की बंदी के समय संस्था की कुल संख्यात्मक शक्ति 226 थी। इनमें से :

- 215 कर्मचारी, डीसीआई एण्ड एस संस्था के, अधिशेष घोषित किए गए एवं पुनः तैनाती के लिए डीपीटी के मुखापेयी हैं।
- 10 कर्मचारी अभी भी डीपीटी के द्वारा अधिशेष घोषित होने हैं।
- संस्था के 87 अधिशेष कर्मचारी भारत सरकार के विविध कार्यालयों में डीपीटी द्वारा नामांकित/पुनः तैनात किए गए हैं।

  8 अधिशेष कर्मचारियों ने डीपीटी के विशिष्ट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।
- 11 अधिशेष कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति की वजह से कार्यालय छोड़ा

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक लोक उद्यमों की सूची

	कंपनी का नाम	प्रशाखाएं
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	इंडियन आयरन एण्ड स्टी कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल – 713325 इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउंड्री लिमिटेड 50, चौरंगी रोड, कोलकाता–700701 (इस्को की सहायक इकाई लिक्विडेयन के अंतगर्त) वश्विश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती, कर्नाटक–577301 महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड मल रोड, चन्द्रपुर–442401, महाराष्ट्र (सेल की सहायक इकाई)
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग विशाखापत्तनम–530031, आंध्र प्रदेश	
3.	मीकॉन लि., मीकॉन बिल्डिंग रांची–834002, झारखंड	
4.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. II ब्लाक, कोरमंगल, बंगलोर–560034, कर्नाटक	
5.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. खनिज भवन, 10–3–31/ए, कैसल हिल्स, हैदराबाद–500 028, आंध्रप्रदेश	जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 19/9, त्रिकुट नगर, जम्मू–180012 जम्मू एण्ड कश्मीर (एनएमडीसी की सहायक इकाई)
6	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लि. नं0–1, सेक्सपियर सारनी, आठवां तल कोलकाता–700 071, पश्चिम बंगाल	
7.	भारत रिफ्रेक्टरीज़ लि. सेक्टर–IV, सेंट्रल एवेन्यू, बोकारो स्टील सिटी बोकरो–827004	
8.	स्पंज आयरन इंडिया लि. खनिज भवन, 10–3–311/ए कैसल हिल्स हैदराबाद–500023, आंध्रप्रदेश	
9.	एमएमटीसी लि. 225-F, आचार्य जगदीश बोस रोड कोलकाता–700 020	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एफएसएनएल भवन, पोस्ट बैग नं0 37 इक्विपमेंट चौक सेंट्रल एवेन्यु, भिलाई–490001, मध्य प्रदेश (एमएसटीसी की सहायक)
10.	मैंगनीज ओर इंडिया लि. 3 माऊंट रोड एक्सटेंशन, पोस्ट बैग नं0–34 नागपुर–440001, महाराष्ट्र	